न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2018 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 07.03.2018
G.C.M.S. NO. :- 2018/00025

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री कन्ना पिता नंगा जाति डांगी निवासी अमीरामा, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, बडीसादडी जरिये पत्रांक/राजस्व/प्रा. पत्र/82/5/82 दिनांक 02.06.82

उपस्थितिः–1– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 11/2018 (रा.प्रा.पत्र)
राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी बनाम श्री कन्ना पिता नंगा डांगी निवासी अमीरामा, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

निर्णय

दिनांक 26.12.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत विरूद्ध विपक्षी के पेश कर निवेदन किया कि मौजा अमीरामा की साबिक आराजी संख्या 765 मी. रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा में से 250 वर्ग गज भूमि बाडे बाबत् कन्ना पिता नंगा डांगी को गैर खातेदारी हक से तत्कालीन तहसीलदार, बडीसादडी द्वारा जरिये मिसल क्रमांक/राजस्व/प्रा.पत्र/82/5/82 से दिनांक 02.06.82 से आवंटित की जिसके नवीन आराजी संख्या 947 रकबा 0.02 हैक्टेयर है जो जरिये नामान्तरण संख्या 263 दिनांक 25.11.82 से कन्ना पिता नंगा डांगी के नाम दर्ज की गई। उक्त गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री बद्रीगिरि गोस्वामी ने अधिकार पत्र पेश किया उसके पश्चात् विपक्षी तथा उसके अधिवक्ता बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। अतः विपक्षी तथा उसके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। संबंधित भू आवंटन पत्रावली तलब करने पर प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, चित्तौड़गढ़ ने उक्त पत्रावली जाया होना बताया। अतः बहस प्रकरण राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि आवंटी कन्ना पिता नंगा को बाडे के रूप में आवंटित भूमि पर उसका कब्जा-काश्त नहीं रहा तथा विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की है। अतः आवंटन निरस्त फरमावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार तत्कालीन तहसीलदार, बडीसादडी द्वारा विपक्षी कन्ना पिता नंगा डांगी को मौजा अमीरामा की बिलानाम साबिक आराजी संख्या 765 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा में से 250 वर्ग गज भूमि का आवंटन बाडे के रूप में गैर खातेदारी हक से किया गया जो कि नामान्तरण संख्या 263 दिनांक 25.11.82 से आवंटी/विपक्षी कन्ना पिता नंगा डांगी के नाम गैर खातेदारी दर्ज किया जिसके वर्तमान में नवीन आराजी नम्बर 947 रकबा 0.02 हैक्टेयर बने जो कि मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। उक्त आराजी नम्बर 947 रकबा 0.02 हैक्टेयर गै. मू. बाडा के रूप में विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरण संख्या 263 दिनांक 25.11.82 का अवलोकन किया जिसके अनुसार नामान्तरण की प्रति के कॉलम संख्या 7 मृदा भूमि वर्गीकरण के कॉलम में किस्म रास्ता अंकित होना स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि तत्कालीन तहसीलदार, बडीसादडी द्वारा आवंटी को गलत रूप से बिलानाम रास्ते की भूमि में से 250 वर्ग गज भूमि का बाडे के रूप में आवंटन किया है जो अवैधानिक है तथा रास्ते की भूमियां किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं की जा सकती।

आवंटन आदेश में आवंटन शर्तो का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है तथा जिन शर्तों पर आवंटन हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है किः-

1-इस भूमि को राज्य सरकार को जब भी जरूरत होगी बिना क्षतिपूर्ति के पुनः ग्रहण की जा सकेगी।

2-प्रार्थी को इस भूमि का मालिकाना हक नहीं होगा।

3-इस भूमि को प्रार्थी द्वारा रहन बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा न ही इस पर कोई पक्का निर्माण कार्य कर सकेगा तथा राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 एवं इसके तहत प्रचलित नियमो व परिनियमों की पालना करने हेतु बाध्य होगा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः आवंटन आदेश की शर्त संख्या 3 अनुसार इस भूमि पर आवंटी या विपक्षी द्वारा पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता जबकि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 25.01.2018 अनुसार विपक्षी ने उक्त आराजी में 48 वर्ग मीटर में मकान बना रखा है तथा शेष बाडे के रूप में उपयोग किया जा रहा है। प्रथम तो आवंटी को बिलानाम रास्ते की भूमि का आवंटन किया गया है जो किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता तथा द्वितीय विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं कर उक्त भूमि पर पक्का निर्माण कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। निष्कर्षतः भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी, द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी को आराजी नम्बर 765 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा में से 250 वर्ग गज (जिसके नवीन आराजी संख्या 947 रकबा 0.02 हैक्टेयर) का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(प्रभा गौतम)

Web Copy - Not Official